14 फारम सं० 5(

मो० शाहिद अन्सारी
बनाम
मो० रमाजउल अन्सारी

आदेश पत्रक

देखे अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

आदेश पत्रक ता०.. तक जिला धनबाद

एम.पी. वाद संख्या........ 474/17 धारा 144 द.प्र.सं.

तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अनुपालन
22.3.17	दं.प्र.सं. की धारा-144 के तहत थाना प्रभारी, तोपचाँची अ.प्रा.सं. 02/17 दिनांक-17-3-2017 से प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन में दिया गया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच भूमि विवाद है। जिसमें पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए दोनों पक्षों के विरूद्ध द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत कारवाई करके प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की गई है। पुलिस प्रतिवेदन का मैंने अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है. जिसका तुरंत रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उभय पक्षों के विरूद्ध दं.प्र.सं. की धारा-144 के अन्तर्गत कारवाई प्रारंभ की जाती है। कारवाई पर्यन्त 60(साठ) दिनों तक प्रश्नगत भूमि पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि 5.4.17 को 10.00 बजे पूर्वा० में मेरे न्यायालय में निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपना अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं धारा-144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा आपके विरूद्ध सम्पुष्ट किया जाय। **प्रश्नगत भूमि का विवरण** मौजा-लेवाटाँड,मौजा नं०-166,खाता नं०-24,प्लोट नं०-1913 रकवा-5½ डी० चौहद्दी-उत्तर-पक्की रोड,दक्षिण-गैर आवादी खाली जमीन,पुरब पक्की रोड,पश्चिम-इसी प्लोट का अंश। लेखांपित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 21/3 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद। (हस्ताक्षर) 21/3 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद।	

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.22 17:18:35 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner